मूल दावा/अपील...
ईजलास ...
नम्बर 250/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी ...
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 – 250/2019

1. गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीवी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीवी तहसील पदमपुर जरीये मुख्त्यारे खास गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी 18 बीवी जिला श्रीगंगानगर।

COMPARED BY ME

–वादीगण–

बनाम्

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसनीत कौर पुत्री बलदेव सिह पत्नि श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण –

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांकः– 1/1/20

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिंह के नाम चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 27/27 मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला में से 5.693 है0, खाता सं0 31/33 के मुरबा नं0 49–51 में कुल 2.839 है0 नंहरी मय खाला भूमि एवं चक 7 सीसी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 का खाला सं0 54/16 के मुरबा नं0 53/0.100 है0 नहरी खाता सं0 55/47 के मुरबा नं0 53 में 2.423 है0 नहरी भूमि, खाता सं0 56/50 के मुरबा नं0 67 में 1.582 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों चक में कुल 12.637 है0 नहरी मय खाला भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से चक 18 बीबी के मुरबा नं0 42 की 5.693 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 बलदेव सिह को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 की उक्त भूमि संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है। जिसमें वादीगण जन्म से ही हिस्सेदार है। वादीगण विरास्तन सम्पति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

(...कुमार)
...अधिकारी
(राज0)

Scanned by CamScanner

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

खाता सं0 27/27 मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला में से अपनी 5.693 है0 में से वादी गुरमेल सिंह को 1.518 है0 व वादी मनदीप सिंह को 1.518 है0 भूमि काश्त के लिए दे रखी है। वादीगण उक्त भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की विरासतन सम्पति है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को उक्त अनुसार भूमि अपने नाम करवाने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया जो यही वाद का कारण है। उक्त सम्पति जो कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से है प्रतिवादी ने उक्त सम्पति को अन्यत्र किसी को बैचान कर दिया तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें। चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 27/27 मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला में से अपनी 5.693 है0 में से वादी गुरमेल सिंह को 1.518 है0 व वादी मनदीप सिंह को 1.518 है0 भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने से बाज व ममनू रहें।

COMPARED BY ME

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने चक 18 बीबी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 27/27 के मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला में से 5.693 है0 में से वादी गुरमेल सिंह ने 1.518 है0 व वादी मनदीप सिंह ने 1.518 है0 का खातेदार मालिक घोषित होने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया है। अब मिकरान का आपस में कोई विवाद नहीं है। राजीनामा अनुसार यदि उक्त वाद डिक्री कर दिया जावें तो हम सभी सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण को राजीनामा के आधार पर तहसील पदमपुर के चक 18 बीबी तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 27/27 मुरबा नं0 42/6.325 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी सं0 1 बलदेव

कुमार)
अधिकारी
(राज0)

Scanned by CamScanner

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

जाति जटसिख के नाम दर्ज भूमि 5.693 है0 में से वादी सं0 1 गुरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख को 1.518 है0 व वादी सं0 2 मनदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख को 1.518 है0 भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

COMPARED BY ME

निर्णय आज दिनांक 1/1/20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.01.20 15:06:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: